

1918

42/13
10/8/13



श्री श्री श्री
दि. 10/8/13
13-6-13

सेवामें,

श्रीमान सहायक कलेक्टर महोदयजा

न्यायालय बिजोलिया

- (1) शंकरलाल पुत्र प्रमुलाल जाति धाकड उम्र 58 साल व्यवसाय खेती निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी
- (2) छीतर पुत्र प्रमुलाल जाति धाकड उम्र 53 साल व्यवसाय खेती निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी
- (3) शंकरलाल पुत्र नाथू जाति धाकड उम्र 52 साल व्यवसाय खेती निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील बिजोलिया जिला भीलवाडा

वादीगण

बनाम

- (1) मूर्ति मन्दिर चारभुजा ग्राम लक्ष्मीनिवास तहसील बिजोलिया नाबालिग मार्फत सरंक्षक
- (2) राजस्थान सरकार तहसीलदार महोदय बिजोलिया तहसील बिजोलिया जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण

वादपत्र अर्न्तगत धारा 88-188 राजस्थान काश्तकार अधिनियम

उपरोक्त विषय में वादीगण की ओर से निम्नलिखित बिन्दुओ पर बादपत्र सादर प्रेषित है-

- (1) यह कि प्रतिवादी सख्या एक का ग्राम लक्ष्मीनिवास में स्थापित सार्वजनिक पूजा स्थल होकर जिसमें चारभुजा ठाकुर जी कि मूर्ति स्थापित है।
- (2) यह कि माफीदार ठाकुर जी चारभुजाजी से जुडी उनकी कृषि खातेदारी भूमि मौजा लक्ष्मीनिवास में स्थित है।
- (3) यह कि वादीगण के पूर्वजो द्वारा प्रतिवादी सख्या एक की खातेदारी मे दर्ज भूमि गत बन्दोबस्ती खसरा नम्बर219.....जिसका रकबा...12 बिस्वा के कुछ बिस्वा पर काश्त की जाती थी जिसके बदले मे खातेदारी भूमि मे उपज का 1/3 हिस्सा मन्दिर में भेट स्वरूप दिया जाता था शेष 2/3 हिस्सा वादीगण के पूर्वजो के परिवार के सदस्यो द्वारा उपयोग उपभोग किया जाता था वादीगण के पूर्वजो द्वारा भूमि का रख रखाव करने के अतिरिक्त भूमि उन्नत व विकसित समय समय पर किया गया जिसमें उन्होने अपनी अंग महनत एवम आर्थिक लागत वादग्रस्त काश्त भूमि पर लगायी।

(Handwritten signature)